न्यायालय, मुन्सिफ डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0 एस0. सं0–66 / 1998
आदेश

12.03.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। वाद का पुकार किया गया। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–18.12.2023 एवं आदेश 6 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि टाईपिस्ट की गलती से कुछ इवारत अर्जी में गलती से टाईप हो गई है जिसका सुधार होना न्यायहित में बहुत जरूरी है। अर्जी का तकरारी जमीन के विवरण में नया खेसरा नं0–1509 रकबा 24 डी0 गलती से टाईप हो गया है इसे हटाना है। सुधार बिल्कुल फॉर्मल नेचर का है और इस सुधार के चलते मुकदमे का वास्तविक स्वरूप नहीं बदलने वाला है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में अर्जी संशोधन करने का आदेश देने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है तथा कहा गया है कि अर्जी संशोधन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि टाईपिस्ट की गलती से अर्जी में गलती से टाईप हो गया है जो फार्मल नेचर का है जिससे मुकदमा की प्रकृति एवं स्वरूप नहीं बदलता है। वादी का अर्जी संशोधन आवेदन महज फार्मल नेचर का है। अतः वादी का अर्जी संशोधन आवेदन दिनांक–18.12.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी यदि चाहे तो अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि समय–सीमा के अंतर्गत वाद पत्र में आवश्यक संशोधन करें।

वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

मुन्सिफ